न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 07 / 2017

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. मुकनाराम पुत्र मेन्दाराम, जाति भाट निवासी मालपूरियाखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. देवाराम पुत्र बालुराम जाति गुर्जर निवासी मालपूरिया खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 2. तहसीलदार (भूमि–धारक), सोजत तहसील सोजत जिला– पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री भुण्डाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक वादी।

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.03.2019

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट 1955 का इस आशय का पेश किया कि मौजा मालपूरिया खुर्द प0ह0 मालपूरिया कलां तहसील सोजत में कृषि भूमि ख0न0 121 रकबा 3.500 है0 किस्म बा0दो0 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि स्थित है। जो हीलमगरी के नाम से जानी पहचानी जाती है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त है। उभयपक्ष अपने अपने हिस्से में माफिक परिशिष्ठ–क में लाल रंग से दर्शित 1/2 हिस्से पर मुकनाराम का कब्जा काश्त वक्त खरीद से व इससे पूर्व उसके प्रिन्सिपल विक्रेता दीपाराम पुत्र नाथुजी गुर्जर 1/2 हिस्से का था पीले रंग से दर्शित विक्रेता दीपाराम के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त प्रतिवादी देवाराम का है। वादी के प्रिन्सिपल विक्रेता दीपाराम व प्रतिवादी देवाराम के मध्य आज से 25–30 वर्ष पूर्व उक्त कृषि जोत की भूमि का मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है व मौखिक बंटवाड़ा व संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ–क के अनुसार लाल रंग के हिस्से पर वादी मुकनाराम कब्जा काश्त है व पीले रंग के हिस्से पर प्रतिवादी देवाराम काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादी देवाराम मौखिक बंटवाड़ा व नजरी नक्शा परिशिष्ठ–क अनुसार उक्त वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर काबिज काश्त है तथा उसका उपयोग कर रहे है। वादी अपने 1/2 हिस्से पर लेवलिंग करवाई व उस पर खाद मिटटी डालकर उसे उपजाउ बनाया, अब प्रतिवादी की नियत में खोट आ चुकी है बंटवाड़ा हेतु वादी द्वारा कहने पर इन्कार कर रहा है। इसलिये वादी वर्तमान में संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ–क अनुसार लाल रंग के अपने 1/2 हिस्से का बंटवाड़ा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाना चाहते हैं। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर मौजा मालपूरिया खुर्द प0ह0 मालपूरिया कलां तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 121 रकबा 3.5000 है0 बा0 दो0 वादी का संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ–क में लाल रंग से दर्शित 1/2 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शित 1/2 हिस्सा का वाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में तदानुसार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

मल दरामद राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 जरिये सम्मनस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 23.10.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 2 स्वयं तहसीलदार, सोजत उपस्थित आए, द्वारा जवाब दावा पेश करने नहीं चाहने से जबाब दावा दिनांक 23.10.2017 बन्द किया गया। शहादत वादी पीडब्यु–1 मुकनाराम व पीडब्ल्यु–2 राजुराम के तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश करने पर मुख्य परीक्षण करवाया जाकर दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 व प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस जिला द्वारा प्रमाणित नकल दिनांक 23.11.2016 प्रदर्शित करवाये जाकर बयान कलमबद्ध करवाकर सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अन्य शहादत वादी पेश नहीं करना चाहते है, आज बन्द की गई। बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने हस्ब वाद–पत्र मय लाल व पीले रंग से दर्शित नक्शा नजरी अनुसार माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से, मौके अनुसार बाई मिटस बाउन्डस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि का बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात मय नजरी नक्शा परिशिष्ठ–क नजरी नक्शा लाल व पीला रंग से दर्शित तथा जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 ख0न0 121 रकबा 3.5000 बा0दो0 तथा प्रमाणित राजस्व नक्शा का अध्ययन कर वहस अधिवक्ता वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी वर्तमान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित होता है। जिससे वादी विवादग्रस्त उक्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकारी होने से वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना तथा तहसीलदार सोजत को वादग्रस्त भूमि मे वादी की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा पक्षकारों में करवाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जाना उचित समझते हुए प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा मालपूरिया खुर्द प0ह0 मालपूरिया कलां, तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 3.5000 है0 बा0दो0 भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में माफिक राजस्व रेकर्ड, मौके पर कब्जे की स्थिति, उनके हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करके खाता व लगान अलग अलग करवाकर नजरीनक्शा बनाया जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबंदी करवाई जाकर पालना रिपोर्ट अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मंगवाई गई/ तहसीलदार, सोजत को तहरीर होकर निर्णय डिक्री पर्चा प्राथमिक एवं नजरी नक्शा लाल/पीला रंग दर्शित परिशिष्ठ–क की छायाप्रति भेजकर पालना मंगवाई गई।

तहसीलदार, सोजत के पत्रांक/कोर्ट/18/85 दिनांक 01.02.2018 द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहा गया। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राज0/18/986 दिनांक 26.03.2018 द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पालना प्रस्तुत की गई। वहस अधिवक्ता वादी सुनी गई, जिसमें माफिक विभाजन प्रस्ताव व मय नजरी नक्शा बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 23.10.2017 को ही अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही हो

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

चुकी है। लिहाजा वादी की वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का विवादग्रस्त भूमि में बंटवाड़ा पक्षकारों में किया जाना उचित समझते है।

-: **आदेश** :-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–मालपुरिया खुर्द प0ह0 मालपुरिया कलां तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 3.5000 है0 बा0दो0 भूमि मे वादी की भूमि का पक्षकारानों में माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.03.2018 बटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपये)
1.	देवाराम पुत्र बालुराम कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई जाडन	121/1	1.75	बा0दो0	7.00
2.	मुकनाराम पुत्र मेन्दाराम कौम भाट सा0 देह खातेदार पूरा खाता रहन एसबीआई शाखा जाडन	121	1.75	बा0दो0	7.00
	योग	02	3.5000	बा0दो0	14.00

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.03.2018 को निर्णय का एक भाग माना जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

वादी — बनाम — प्रतिवादी

1. मुकनाराम पुत्र मेन्दाराम, जाति भाट निवासी मालपूरियाखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

1. देवाराम पुत्र बालुराम जाति गर्जर निवासी मालपूरिया खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. तहसीलदार (भूमि–धारक), सोजत तहसील सोजत जिला– पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 07/2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री भुण्डाराम चौधरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–मालपुरिया खुर्द प0ह0 मालपूरिया कलां तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 रकबा 3.5000 है0 बा0दो0 भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.03.2018 बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है :–

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपये)
1.	देवाराम पुत्र बालुराम कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई जाडन	121/1	1.75	बा0दो0	7.00
2.	मुकनाराम पुत्र मेन्दाराम कौम भाट सा0 देह खातेदार पूरा खाता रहन एसबीआई शाखा जाडन	121	1.75	बा0दो0	7.00
	योग	02	3.5000	बा0दो0	14.00

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 26.03.2018 को निर्णय का एक भाग माना जावें। इस निर्णय, डिकी पर्चा व विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मुवलिग –   बावत ––

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य को अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.03.2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

Scanned by CamScanner